राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा 102 ए के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि का आरक्षण

1. प्रार्थी ग्राम पंचायत का नाम : ....
2. आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण
   1. नाम तहसील : ....
   2. नाम ग्राम : ....
   3. खसरा नम्बर : ....
   4. किस्म भूमि : ....
   5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल : ....
   6. प्रस्तावित क्षेत्रफल : ....
   7. जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है : हां / नहीं
   8. क्या प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है : हां / नहीं
   9. पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें : संलग्न है / नहीं है
3. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :–
   1. पशु संख्या : ....
   2. प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि : ....
   3. क्या पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है..
   4. यदि नहीं, तो चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प है । : ....
4. प्रस्तावित भूमि को आबादी के लिये उपयुक्तता पर टिप्पणी : ....
5. विभागीय निर्देश दिनांक 20–10–83 के तहत आवश्यक सूचना :–
   1. ग्राम की जनसंख्या : ....
   2. निवास हेतु भूमि की आवश्यकता (एकड़ में) (जनसंख्या में 35 का भाग देकर गणना की जावे) : ....
   3. विषयान्तर्गत निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (1,000 तक की जनसंख्या के लिये 10 एकड़, अगले प्रति एक हजार या उसे भाग के लिये 5 एकड़ के आधार पर) : ....
   4. कुल वांछित आबादी का क्षेत्रफल : ....
   5. वर्तमान में उपलब्ध आबादी का क्षेत्रफल : ....
6. यदि निर्धारित मानदण्ड से अधिक आबादी भूमि प्रस्तावित की गई है तो कारण स्पष्ट किये जावें। : ....
7. क्या प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है ? : ....
8. यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है : ....
9. यदि अतिक्रमण का नियमन प्रस्तावित है तो किन शर्तो पर : ....
10. क्या अतिक्रमण का नियमन राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, यदि नहीं तो क्यों ? : ....

Scanned with CamScanner

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा 102 ए के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि का आरक्षण

1. प्रार्थी ग्राम पंचायत का नाम : .....
2. आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण
   1. नाम तहसील : .....
   2. नाम ग्राम : .....
   3. खसरा नम्बर : .....
   4. किस्म भूमि : .....
   5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल : .....
   6. प्रस्तावित क्षेत्रफल : .....
   7. जमाबन्दी, खसरा व नक्शो की प्रति संलग्न है : हां / नहीं
   8. क्या प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है : हां / नहीं
   9. पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें : संलग्न है / नहीं है
3. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :–
   1 पशु संख्या : .....
   2 प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि : .....
   3 क्या पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है.....
   4 यदि नहीं, तो चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प है । : .....
4. प्रस्तावित भूमि को आबादी के लिये उपयुक्तता पर टिप्पणी : .....
5. विभागीय निर्देश दिनांक 20–10–83 के तहत आवश्यक सूचना :–
   1. ग्राम की जनसंख्या : .....
   2. निवास हेतु भूमि की आवश्यकता (एकड़ में) (जनसंख्या में 35 का भाग देकर गणना की जावे) : .....
   3. विषयान्तर्गत निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (1,000 तक की जनसंख्या के लिये 10 एकड़, अगले प्रति एक हजार या उसे भाग के लिये 5 एकड़ के आधार पर) : .....
   4. कुल वांछित आबादी का क्षेत्रफल : .....
   5. वर्तमान में उपलब्ध आबादी का क्षेत्रफल : .....
6. यदि निर्धारित मानदण्ड से अधिक आबादी भूमि प्रस्तावित की गई है तो कारण स्पष्ट किये जावें। : .....
7. क्या प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है ? : .....
8. यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है : .....
9. यदि अतिक्रमण का नियमन प्रस्तावित है तो किन शर्तों पर : .....
10. क्या अतिक्रमण का नियमन राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, यदि नहीं तो क्यों ? : .....

Scanned with CamScanner

भूमि आवंटन बाबत् चैक लिस्ट

	जिले का नाम	
	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	
	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	
4.	संस्था का गत 3 वर्ष का आय–व्यय का विवरण	
5.	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	
6.	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	
7.	संस्था को भू–आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	
8.	संस्था द्वारा नॉर्म्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	
9.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हॉ तो उसका विवरण	
10.	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा? व क्या लाभ मिलेगा?	
11.	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण– राजस्व ग्राम का नाम, ख0नं0, किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शे के	
12.	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	
13.	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	
14.	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	
15.	चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर	
16.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	
17.	क्या भू–उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	
18.	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	
19.	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	
20.	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	
21.	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी– राजस्व नक्शा– तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	
22.	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह भूमि है? यदि हॉ तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव।	
23.	यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैरीफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है?	
24.	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	
25.	यदि मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू–उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू–उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू–आवंटन किया जाना है?	
26.	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है	
27.	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्सम्बन्धी संतुष्टी कर ली गई है एवं तदानुसार उक्त प्रकरण में भू–आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

जिला कलेक्टर

Scanned with CamScanner

राजकीय विभागों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / शालाओं इत्यादि के लिये राजस्थान भू–राजस्व (संस्थाओं को स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963

1. प्रार्थी विभाग का नाम : .....
2. आवंटन का प्रयोजन : .....
   (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)
3. क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिये पूर्व में भूमि का आवंटन हुआ है, यदि हां तो इसका विवरण : .....
4. क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है ? : .....
5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिये वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है ? : .....
6. विषयान्तर्गत 1963 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड : .....
7. यदि विभाग के द्वारा मानदण्ड निश्चित किये गये है तो उसका विवरण : .....
8. मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य : .....
9. आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण :–
   1. तहसील का नाम : .....
   2. ग्राम का नाम : .....
   3. खसरा नम्बर : .....
   4. भूमि की किस्म : .....
   5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल : .....
   6. प्रस्तावित क्षेत्रफल : .....
   7. जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है हाँ / नहीं
   8. प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं (पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें) .....
10. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :–
    अ पशु संख्या : .....
    ब प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि : .....
    स पशुओं के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है ? : .....
    द यदि नहीं, तो चाराहगाह की वैकल्पिक व्यवस्था ? : .....
11. भूमि नगरपालिका में स्थित है / ग्राम पंचायत में (नाम लिखें) : .....
12. स्थानीय निकाय का निरापति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें : .....
13. नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की सहमति संलग्न करें : .....
14. क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है ? : .....
15. क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिये विभाग को प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? : .....
16. यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा ? : .....
17. यदि निर्माण पूर्व में हो चुका है तो अंकित करें : .....
18. पूर्व में सहमति नहीं प्राप्त करने का कारण : .....

Scanned with CamScanner

श्मशान भूमि हेतु

राजस्थान भू–अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत श्मशान हेतु भूमि आरक्षण/आंवटन के प्रस्ताव तहसील कार्यालय द्वारा प्रेषित करने हेतु

1. ग्राम पंचायत का नाम –
2. आरक्षण/आंवटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण –
    1. नाम तहसील –
    2. नाम ग्राम –
    3. खसरा नम्बर –
    4. किस्म भूमि –
    5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (बीघा मे) –
    6. प्रस्तावित क्षेत्रफल बीघो मे –
    7. जमाबन्दी व खसरा प्लान की प्रति सलग्न करे –
    8. मौका रिपोर्ट सलग्न है –

    (जिन मामलो मे भूमि की आवश्यकता निर्धारित नार्म्स के अनुसार है उन मामलो मे पटवारी की रिपोर्ट तथा नार्म्स से अधिक मामलो मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार की रिपोर्ट सलग्न करे) एंव औचित्य बताया जावे ।
3. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो –
    1. पशु संख्या –
    2. प्रस्तावित आंवटन के पश्चात ग्राम मे उपलब्ध चारागाह भूमि –
    3. क्या पशु संख्या के अनुपात मे चारागाह भूमि पर्याप्त है –
    4. यदि नही हो श्मशान क्षतिपूर्ति के लिए क्या विकल्प है –
4. प्रस्तावित भूमि श्मशान के लिए उपयुक्ता पर टिप्पणी –
5. जिला स्तर पर निर्धारित किये गये नार्म्स के तहत आवश्यक सूचना –
    1. समुदाय का नाम जिसके लिए भूमि आरक्षित की जानी है –
    2. समुदाय की वर्तमान मे जनसंख्या –
    3. नॉर्म्स के अनुसार कब्रिस्तान श्मशान के लिए वांछित क्षेत्रफल –
    4. उक्त समुदाय के नाम पर वर्तमान मे दर्ज भूमि का विवरण –
    5. कुल वांछित क्षेत्रफल –
6. यदि निर्धारित नॉर्म्स के अधिक भूमि प्रस्तावित की गई तो उसका कारण स्पष्ट किया जावे –
7. प्रस्तावित भूमि ग्राम की आबादी भूमि मुख्य सडक से कितनी दूरी पर है –
8. प्रस्तावित भूमि आंवटन आरक्षण मे किसी प्रकार की सामाजिक व धार्मिक अडचन तो नही है –
9. तहसीलदार की राय –

हस्ताक्षर तहसीलदार

Scanned with CamScanner

'प्रशासन आपके द्वार' अभियान-2004 परिशिष्ट - 'स'

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/राज० राज्य परिवहन निगम को निगमन इत्यादि को अधिसूचना क्रमांक प० 6(12) राज/4/76/39 दिनांक 2-8-84 के अनुसरण में भूमि का आवंटन

1 प्रार्थी प्रतिष्ठान का नाम : ....

2 आवंटन का प्रयोजन : ....

3 क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिये पूर्व में भूमि का आवंटन हुआ है ? : ....

4 यदि हां, तो उसका विवरण : ....

5 क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है । : ....

6 अधिक भूमि चाहे जाने का कारण : ....

7 आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण :-

1 नाम तहसील : ....

2 नाम ग्राम : ....

3 खसरा नम्बर : ....

4 किस्म भूमि : ....

5 खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल : ....

6 प्रस्तावित क्षेत्रफल : ....

7 जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है हाँ/नहीं

8 क्या प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है, हाँ/नहीं

9 पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें । : ....

8 यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो:-

1 पशु संख्या : ....

2 प्रस्तावित आवंटन के उपरान्त शेष चारागाह भूमि: ....

3 क्या चारागाह भूमि पशु संख्या के अनुपात में पर्याप्त है, यदि नहीं तो चारागाह हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है । : ....

9 भूमि नगरपालिका/ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में हैं (नाम लिखें) : ....

10 संबंधित स्थानीय निकाय का निरापत्ति प्रमाण पत्र : ....

11 नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की राय (संलग्न करें) : ....

12 क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है । : ....

13 प्रस्तावित कृषि भूमि की बाजार दर : ....

14 कुल कीमत/प्रीमियम : ....

15 प्रीमियम के 10 प्रतिशत के आधार पर वार्षिक किराया : ....

16 यदि पूर्व में बिना स्वीकृति निर्माण हो चुका है तो ऐसे निर्माण तिथि जिससे वार्षिक किराया वसूल किया जाना प्रस्तावित है : ....

17 जिला कलक्टर की राय

Scanned with CamScanner

श्मशान भूमि हेतु

राजस्थान भू–अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत श्मशान हेतु भूमि आरक्षण/आंवटन के प्रस्ताव तहसील कार्यालय द्वारा प्रेषित करने हेतु

1. ग्राम पंचायत का नाम –
2. आरक्षण/आंवटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण –
   1. नाम तहसील –
   2. नाम ग्राम –
   3. खसरा नम्बर –
   4. किस्म भूमि –
   5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (बीघा मे) –
   6. प्रस्तावित क्षेत्रफल बीघो मे –
   7. जमाबन्दी व खसरा प्लान की प्रति सलग्न करे –
   8. मौका रिपोर्ट सलग्न है –

      (जिन मामलो मे भूमि की आवश्यकता निर्धारित नार्म्स के अनुसार है उन मामलो मे पटवारी की रिपोर्ट तथा नार्म्स से अधिक मामलो मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार की रिपोर्ट सलग्न करे) एंव औचित्य बताया जावे ।
3. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो –
   1. पशु संख्या –
   2. प्रस्तावित आंवटन के पश्चात ग्राम मे उपलब्ध चारागाह भूमि –
   3. क्या पशु संख्या के अनुपात मे चारागाह भूमि पर्याप्त है –
   4. यदि नही हो श्मशान क्षतिपूर्ति के लिए क्या विकल्प है –
4. प्रस्तावित भूमि श्मशान के लिए उपयुक्ता पर टिप्पणी –
5. जिला स्तर पर निर्धारित किये गये नार्म्स के तहत आवश्यक सूचना –
   1. समुदाय का नाम जिसके लिए भूमि आरक्षित की जानी है –
   2. समुदाय की वर्तमान मे जनसंख्या –
   3. नॉर्म्स के अनुसार कब्रिस्तान श्मशान के लिए वांछित क्षेत्रफल –
   4. उक्त समुदाय के नाम पर वर्तमान मे दर्ज भूमि का विवरण –
   5. कुल वांछित क्षेत्रफल –
6. यदि निर्धारित नॉर्म्स के अधिक भूमि प्रस्तावित की गई तो उसका कारण स्पष्ट किया जावे –
7. प्रस्तावित भूमि ग्राम की आबादी भूमि मुख्य सडक से कितनी दूरी पर है –
8. प्रस्तावित भूमि आंवटन आरक्षण मे किसी प्रकार की सामाजिक व धार्मिक अडचन तो नही है –
9. तहसीलदार की राय –

हस्ताक्षर तहसीलदार

Scanned with CamScanner

श्मशान भूमि हेतु

राजस्थान भू–अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत श्मशान हेतु भूमि आरक्षण/आंवटन के प्रस्ताव तहसील कार्यालय द्वारा प्रेषित करने हेतु

1. ग्राम पंचायत का नाम –
2. आरक्षण/आंवटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण –
   1. नाम तहसील –
   2. नाम ग्राम –
   3. खसरा नम्बर –
   4. किस्म भूमि –
   5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (बीघा मे) –
   6. प्रस्तावित क्षेत्रफल बीघो मे –
   7. जमाबन्दी व खसरा प्लान की प्रति सलग्न करे –
   8. मौका रिपोर्ट सलग्न है –

      (जिन मामलो मे भूमि की आवश्यकता निर्धारित नार्म्स के अनुसार है उन मामलो मे पटवारी की रिपोर्ट तथा नार्म्स से अधिक मामलो मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार की रिपोर्ट सलग्न करे) एंव औचित्य बताया जावे ।
3. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो –
   1. पशु संख्या –
   2. प्रस्तावित आंवटन के पश्चात ग्राम मे उपलब्ध चारागाह भूमि –
   3. क्या पशु संख्या के अनुपात मे चारागाह भूमि पर्याप्त है –
   4. यदि नही हो श्मशान क्षतिपूर्ति के लिए क्या विकल्प है –
4. प्रस्तावित भूमि श्मशान के लिए उपयुक्ता पर टिप्पणी –
5. जिला स्तर पर निर्धारित किये गये नार्म्स के तहत आवश्यक सूचना –
   1. समुदाय का नाम जिसके लिए भूमि आरक्षित की जानी है –
   2. समुदाय की वर्तमान मे जनसंख्या –
   3. नॉर्म्स के अनुसार कब्रिस्तान श्मशान के लिए वांछित क्षेत्रफल –
   4. उक्त समुदाय के नाम पर वर्तमान मे दर्ज भूमि का विवरण –
   5. कुल वांछित क्षेत्रफल –
6. यदि निर्धारित नॉर्म्स के अधिक भूमि प्रस्तावित की गई तो उसका कारण स्पष्ट किया जावे –
7. प्रस्तावित भूमि ग्राम की आबादी भूमि मुख्य सडक से कितनी दूरी पर है –
8. प्रस्तावित भूमि आंवटन आरक्षण मे किसी प्रकार की सामाजिक व धार्मिक अडचन तो नही है –
9. तहसीलदार की राय –

हस्ताक्षर तहसीलदार

Scanned with CamScanner

सेवामें,

श्रीमान जिलाकलक्टर महोदय,
जोधपुर

मार्फत :- उप जिलाधीश, महोदय, फलोदी

विषय:- चारागृह सुविधा हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

=====

महोदय,

निम्न अनुसार निवेदन है कि ग्राम ..... में गोचर भूमि काअभाव है इसलिये परम्परा सेचराई के काम आ रही सरकारी भूमि कोगोचर भूमि घोषित करवाने की कृपा करावें :-

§1§ नामप्रस्तावकर्ता :-

§2§ प्रस्ताव की तारीख :-

§3§ नाम ग्राम :-

§4§ सुविधा के लिये प्रस्ताव:-

§§5§ प्रस्तावित क्षेत्रफल :-

§6§ खसरा नंबर :-

§7§ किस्म भूमि :-

§8§ नियमानुसार देय भूमि :-

§9§ सुझाव :-

§10§ पूर्व में गोचर भूमि :-

§11§ गाँव कीपशु संख्या :-

पटवारी, निरीक्षक तहसीलदार

Scanned with CamScanner

सेवामें,

श्रीमान जिलाकलक्टर महोदय,
जोधपुर

मार्फत :- उप जिलाधीश, महोदय, फलोदी

विषय:- चारागृह सुविधा हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

=====

महोदय,

निम्न अनुसार निवेदन है कि ग्राम .....में गोचर भूमि काअभाव है इसलिये परम्परा सेचराई के काम आ रही सरकारी भूमि कोगोचर भूमि घोषित करवाने की कृपा करावें :-

§1§ नामप्रस्तावकर्ता :-

§2§ प्रस्ताव की तारीख :-

§3§ नाम ग्राम :-

§4§ सुविधा के लिये प्रस्ताव:-

§5§ प्रस्तावित क्षेत्रफल :-

§6§ खसरा नंबर :-

§7§ किस्म भूमि :-

§8§ नियमानुसार देय भूमि :-

§9§ सुझाव :-

§10§ पूर्व में गोचर भूमि :-

§11§ गांव कीपशु संख्या :-

पटवारी, निरीक्षक तहसीलदार

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट - 'च'

राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन) नियम, 1959 के तहत आवंटन

1 प्रार्थी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम : .....
(जिसके नाम से आवंटन स्वीकृति चाही है)

2 किस उद्योग हेतु आवंटन चाहा गया है । : .....

3 क्या फर्म/कम्पनी के पास प्रस्तावित प्रयोजन के लिये : .....
पूर्व से भूमि उपलब्ध है ? (यदि है तो विवरण अलग से दें)

4 क्या इस भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है । : .....

5 क्या पूर्व मे उपलब्ध भूमि का भी आवंटन ही हुआ है : .....
अथवा स्वयं की क्रयशुदा थी जिसका रूपान्तरण हुआ ?

6 क्या उद्योग वृहद उद्योग है ? हाँ/नही

7 क्या प्रस्तावित भूमि पूर्व से ही औद्योगिक क्षेत्र के लिये हाँ/नही
आरक्षित की जा चुकी है ? (संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करें)

8 आवंटन/आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण :-

1	नाम तहसील	:	.....
2	नाम ग्राम	:	.....
3	खसरा नम्बर	:	.....
4	किस्म भूमि	:	.....
5	खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल	:	.....
6	प्रस्तावित क्षेत्रफल	:	.....
7	जमाबन्दी, खसरा व नक्शों की प्रति संलग्न है		हाँ/नही
8	क्या प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है ।		हाँ/नही
9	पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें		संलग्न है/नही है

9 क्या विषयान्तर्गत शहर/कस्बे में रीको के द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है ? हाँ/नही

10 यदि रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है : .....
तो प्रार्थी का उद्योग उस क्षेत्र में क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता है । टिप्पणी करें ।

11 स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/नगरपालिका जहां की भूमि स्थित है, का निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें हाँ/नही
(निरापत्ति प्रमाण पत्र और प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें)

12 यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :-

अ	पशु संख्या	:	.....
ब	प्रस्तावित आवंटन के उपरान्त अब ग्राम में शेष चारागाह भूमि	:	.....
स	क्या यह चारागाह भूमि पशु संख्या के अनुपात से पर्याप्त है ।		हाँ/नही
द	यदि नहीं तो चारागाह भूमि हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है	:	.....

13 यदि भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है तो नगर नियोजन विभाग की राय संलग्न करें। सहमत है/नही है/लागू नही

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ - 'य'

राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन) नियम, 1959 के तहत आवंटन

1 प्रार्थी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम : .....
(जिसके नाम से आवंटन स्वीकृति चाही है)

2 किस उद्योग हेतु आवंटन चाहा गया है । : .....

3 क्या फर्म/कम्पनी के पास प्रस्तावित प्रयोजन के लिये : .....
पूर्व से भूमि उपलब्ध है ? (यदि है तो विवरण अलग से दें)

4 क्या इस भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है । : .....

5 क्या पूर्व मे उपलब्ध भूमि का भी आवंटन ही हुआ है : .....
अथवा स्वयं की क्रयशुदा थी जिसका रूपान्तरण हुआ ?

6 क्या उद्योग वृहद उद्योग है ? हाँ/नही

7 क्या प्रस्तावित भूमि पूर्व से ही औद्योगिक क्षेत्र के लिये हाँ/नही
आरक्षित की जा चुकी है ? (संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करें)

8 आवंटन/आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण :-

1	नाम तहसील	:	.....
2	नाम ग्राम	:	.....
3	खसरा नम्बर	:	.....
4	किस्म भूमि	:	.....
5	खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल	:	.....
6	प्रस्तावित क्षेत्रफल	:	.....
7	जमाबन्दी, खसरा व नक्शों की प्रति संलग्न है		हाँ/नही
8	क्या प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है ।		हाँ/नही
9	पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें		संलग्न है/नही है

9 क्या विषयान्तर्गत शहर/कस्बे में रीको के द्वारा कोई हाँ/नही
औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है ?

10 यदि रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है : .....
तो प्रार्थी का उद्योग उस क्षेत्र में क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता है । टिप्पणी करें ।

11 स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/नगरपालिका जहां की हाँ/नही
भूमि स्थित है, का निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें
(निरापत्ति प्रमाण पत्र और प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें)

12 यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :-

अ	पशु संख्या	:	.....
ब	प्रस्तावित आवंटन के उपरान्त अब ग्राम में शेष चारागाह भूमि	:	.....
स	क्या यह चारागाह भूमि पशु संख्या के अनुपात से पर्याप्त है ।		हाँ/नही
द	यदि नहीं तो चारागाह भूमि हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है	:	.....

13 यदि भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है तो नगर नियोजन सहमत है/नही है/लागू नही
विभाग की राय संलग्न करें।

Scanned with CamScanner

14	क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है ।	हाँ/नही
15	क्या उद्योग पंजीकृत है ? (पंजीकृत प्रमाण पत्र संलग्न करें):	.....
16	मेमोरेन्डम और आर्टिकल आफ ऐसोशियेशन की प्रति सलंग्न है या नही है ?	हाँ/नही/आवश्यकता नही
17	प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति पेश करें :	.....
18	प्रस्तावित क्षेत्रफल के औचित्य के संबंध में उद्योग विभाग की विस्तृत टिप्पणी प्राप्त कर संलग्न की जावे	संलग्न है/नही है
19	राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल का निरापत्ति प्रमाण पत्र	संलग्न है/नही है/आवश्यक नही है
20	पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी साईड क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र	संलग्न है/नही है/लागू नही/आवश्यक नही है
21	नियम 3-क के अनुसार	
	अ भूमि की प्रचलित बाजार दर :	.....
	ब प्रस्तावित भूमि की कीमत :	.....
22	नियम 3 के अनुसार	
	अ विकास शुल्क की दर :	.....
	ब प्रस्तावित भूमि के लिये कुल विकास शुल्क :	.....
23	यदि विकास शुल्क नहीं लिया जाना प्रस्तावित है तो औचित्य :	.....
24	यदि विषयान्तर्गत नगर/कस्बे में रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है तो रीको के द्वारा प्रसारित विकास शुल्क :	.....
25	नियम 5 के अनुसार	
	अ किराये की दर :	.....
	ब कुल वार्षिक किराया :	.....
26	जिला कलक्टर की राय	

Scanned with CamScanner

भूमि आवंटन बाबत् चैक लिस्ट

	जिले का नाम	
	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	
	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	
4.	संस्था का गत 3 वर्ष का आय–व्यय का विवरण	
5.	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	
6.	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	
7.	संस्था को भू–आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	
8.	संस्था द्वारा नॉर्म्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	
9.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हॉ तो उसका विवरण	
10.	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा? व क्या लाभ मिलेगा?	
11.	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण– राजस्व ग्राम का नाम, ख0नं0, किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शे के	
12.	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	
13.	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	
14.	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	
15.	चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर	
16.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	
17.	क्या भू–उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	
18.	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	
19.	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	
20.	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	
21.	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी– राजस्व नक्शा– तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	
22.	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह भूमि है? यदि हॉ तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव।	
23.	यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैरीफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है?	
24.	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोज़न विभाग की राय	
25.	यदि मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू–उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू–उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू–आवंटन किया जाना है?	
26.	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है	
27.	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्सम्बन्धी संतुष्टी कर ली गई है एवं तदानुसार उक्त प्रकरण में भू–आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

जिला कलेक्टर

Scanned with CamScanner